



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

सार्वजनिक सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 14/2026/D-861

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 316988 दिनांक 21/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Layout Plan Approval जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Puneet Surana S/o Pushpendra Surana एवं Raunak Parwal S/o NAVIN PARWAL	मैसर्स विनायक लैण्डमार्क प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री विजय अग्रवाल पुत्र श्री हरिप्रकाश गुप्ता एवं श्री पुनीत सुराना पुत्र श्री पुष्पेन्द्र सुराना व श्री रौनक परवाल पुत्र श्री नवीन परवाल	Khasano no-126, 127, 917/130, 919/133	0.760000 hectare	Private	VILLAGE KHEDA JAGGANNA THPURA TEHSIL CHAKSU (EKAL PATTA)	Layout Plan Approval	आवेदन रसीद, जमाबन्दी, 90ए आदेश, मास्टर प्लान-2025, 2011, जोनल प्लान, गुगल मानचित्र, ले-आउट प्लान, पंजीकृत विक्रय पत्रों व आईडी आदि दस्तावेज तथा 90-बी आदेश क्रमांक 9/2009 दिनांक 22.10.2009 व 90-ए आदेश क्रमांक एलयू2012/जेडीए/2025-26/10441 3 दिनांक 15.07.2025 को एक वर्ष से अधिक होने के कारण विज्ञप्ति की गई है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Layout Plan Approval जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Puneet Surana S/o Pushpendra Surana एवं Raunak Parwal S/o NAVIN PARWAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का दो राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।